



128  
2/11/19

आदेश पत्रक

आदेश सं- 32 / 2019  
धारा-107 दंडाधिकारी

आदेश सं- 32 / 2019  
धारा-107 दंडाधिकारी

आदेश सं- 32 / 2019  
धारा-107 दंडाधिकारी

आदेश सं- एत	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं दिनांक
	<p>अभिलेख सं- एम 32 / 2019 में दंडाधिकारी की धारा-107 के तहत शाना प्रणाली गुण्ड के अप्राथमिकी सं- 06/2019 दिनांक 01.4.19 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि लोकसभा चुनाव 2019 के अवसर पर अवैध रूप से देशी शराब का निर्माण करने एवं अपने पसंद के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के संबंध में।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति शुद्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति शुद्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (सँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध दंडाधिकारी की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रूप का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 10/04/19 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (सँची)।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (सँची)।</p>	

1

2

03-05-19

अभिलेख उपस्थापित 1 दिनांक पर क्रमांक 04, 05 अधिकतम हाजरी अन्य सभी उपस्थित 1 दिनांक 14-05-19 की रखा

  
03/05/19

14-05-19

अभिलेख उपस्थापित दिनांक पर क्रमांक 10 अधिकतम हाजरी अन्य सभी उपस्थित 1 दिनांक 25-05-19 की रखा

  
14/05/19

25-05-19

अभिलेख उपस्थापित 1 दिनांक पर उपस्थित 1 लोक सभा चुनाव 2019 शान्तिपूर्ण रूप से सम्पन्न हो गया है अल्प वार्ड के अभिलेख की कार्रवाई बन्द की गयी है

  
25/05/19